31.07.2023

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि राजस्व निगरानी संख्या 02/2022 में प्रकरण में पैरवी हेतु प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा को वकालतनामा दस्तखत कर दिया था, परन्तु उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में काफी प्रकरण होने से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा के अपने जूनियर सहवन से उक्त प्रकरण में वकालतनामा प्रस्तुत नहीं कर पाए एवं हर तारीख पेशी नोट करते रहे एवं दिनांक 09.11.2022 को बुधवार होने से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिह आढा पिण्डवाडा गए हुए थे एवं जूनियर को तारीख पेशी नोट कर आगे अन्य कार्य दिवस में लेने हेतु हिदायत दी थी। उस दिन किसी कार्यवश जूनियर उपस्थित नहीं हो पाया था एवं दिनांक 09.11.2022 को ही माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को एक पक्षीय मानते हुए निर्णय पारित कर दिया, जिसकी जानकारी दिनांक 10.11.2022 को न्यायालय में तारीख पेशी लेने गए तब हुई। अतः उपरोक्त अनवान के काफी प्रकरण एक साथ होने से व त्रुटिवश वकालतनामा प्रस्तुत नहीं हो पाया था, जिसमें प्रार्थी की किसी तरह की लापरवाही या बदनियती नहीं रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर मूल राजस्व निगरानी संख्या 02/2022 में पारित एक पक्षीय निर्णय दिनांक 09.11.2022 को अपास्त कर प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी को जवाब प्रस्तुत करने व सुनवाई का अवसर प्रदान करने के आदेश फरमावे। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया कि श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 02/2022 में दिनांक 09.11.2022 को विधिवत् निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थी को पूर्व में सुनवाई हेतु कई अवसर प्रदान किए गए थे, परन्तु उक्त अवधि में प्रार्थी द्वारा कोई उपस्थिति नहीं दी गई थी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावें। दोनों प्रक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर निष्कर्ष इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय द्वारा राजस्व निगरानी संख्या 02/2022 में पारित निर्णय दिनांक 09.11.2022 को निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। मूल प्रकरण की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि उक्त प्रकरण संख्या 02/2022 इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी श्री मीठालाल को दिनांक 22.02.2022 को ही नोटिस जारी किया गया, जो तहसीलदार पिण्डवाडा के मार्फत प्रार्थी श्री मीठालाल को दिनांक 07.03.2022 को तामिल हुआ। उक्त नोटिस तामिल होने के उपरान्त दिनांक 07.03.2022 से निर्णय दिनांक 09.11.2022 तक लगभग 09 माह की अवधि में प्रार्थी श्री मीठालाल या उनकी ओर से किसी भी अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में कोई उपस्थिति नहीं दी गई। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उक्त प्रकरण दिनांक 22.02.2022 को दर्ज रजिस्टर होने के पश्चात निर्णय दिनांक 09.11.2022 तक उक्त प्रकरण में 11 तारीख पेशी नियत की गई थी, जिसमें लगातार प्रार्थी

Bull

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

श्री मीठालाल अनुपस्थित रहा था। यह कि प्रार्थी श्री मीठालाल द्वारा अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा को वकालतनामा दिया जाना एवं उनके द्वारा निर्णय दिनांक 09.11.2022 तक किसी भी तारीख पेशी पर यह अवलोकन ही नहीं किया जाना कि उनके द्वारा इस न्यायालय में उक्त वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है, मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। चूंकि इस न्यायालय द्वारा मूल प्रकरण संख्या 02/2022 में प्रार्थी श्री मीठालाल को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर ही दिनांक 09.11.2022 को निर्णय पारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व धारा 151 सी.पी.सी. को खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर,सिरोही

Scanned with CamScanner